केन्द्रीय विद्यालय राजगढ़
पोस्ट-राजगढ़,कलेक्टर कार्यालय के सामने,राजगढ़
जिला-राजगढ़,म.प्र.।
पिन कोड-465661
फोन न.-07372-255104
ई-मेल:- ppl.rajgarh@kvs.gov.in
वेबसाइट:-http://rajgarh.kvs.ac.in

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

KENDRIYA VIDYALAYA RAJGARH
Post:-Rajgarh.Opp-Collectorate Office,Rajgarh,
Distric:-Rajgarh MP Pin:-465661
Phone :- 07372-255104
Email :- ppl.rajgarh@kvs.gov.in
Website :- https://rajgarh.kvs.ac.in

CBSE Affiliation No.:1000042 School No.:54073 KV Code:1132 School Code.:079

फा.क्र./1132/116/M&R/के.वि.राज./2022-23/ 645 दिनांक:-29.10.2022

-:नीलामी सूचना:-

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ परिसर में करीब 13 एकड़ भूमि पर जहां एवं जिस स्थिति में भी मवेशियों के लिए उपयोग योग्य घास उगी हुई है उसको 05 दिवस के भीतर नीलाम किया जाना है जो कोई संस्था पार्टी अथवा व्यक्ति इस कार्य के लिए इच्छुक हो वह दिनांक 02 नवम्बर 2022 को दोपहर 02:00 बजे विद्यालय में उपस्थित होकर बोली लगा सकता है। विद्यालय परिसर की केवल घास काट कर ले जाने के लिए न्यूनतम बोली रुपए 5000/- विद्यालय की मेंटेनेंस एवं रिपेयर समिति द्वारा निर्धारित की गई है, इसके बाद सबसे अधिक कीमत पर बोली लगाने वाले व्यक्ति को केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार दिनांक 03.11.2022 को निर्धारित राशि जमा करके रसीद प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित शर्तों पर घास काटने की अनुमति दी जाएगी,उसके पश्चात ही घास काटने का कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा।

1. नीलामी बोली लगाने से पूर्व सबंधित व्यक्ति/संस्था को धरोहर राशि के रूप में 2000/- रूपये डिमांड ड्राफ्ट प्राचार्य के.वि. विकास निधि नाम से जमा करवाना अनिवार्य होगा।
2. बोलीदाता के पूर्ण रकम जमा नहीं करने एवं घास काटने से मना करने की दशा में धरोहर राशि लौटाई नहीं जाएगी एवं घास अगले क्रम में बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को नियमानुसार काटने की अनुमति दी जाएगी।
3. सर्वाधिक बोली लगाने वाले व्यक्ति को घास काटने के लिए अपने स्वयं के व्यय पर मजदूर लगाकर घास कटवानी होगी।
4. विद्यालय परिसर में उगी हुई घास को काटने के साथ-साथ विद्यालय परिसर की चार दिवारी के भीतर 13 एकड़ भूमि पर घास के साथ-साथ जितनी भी अनावश्यक झाडिया,पौधे,खरपतवार आदि है उन्हें भी काटना एवं नष्ट करना होगा।
5. घास कटवाने का काम प्रारंभ करने से पहले प्रत्येक मजदूर का परिचय पत्र जैसे मतदाता परिचय पत्र आधार कार्ड आदि में से किसी एक की छाया प्रति कार्यालय को जमा करनी होगी।
6. कोई भी मजदूर आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए तथा किसी के खिलाफ पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं होना चाहिए,इस आशय का घोषणा-पत्र संबंधित व्यक्ति पार्टी अथवा संस्था को देना होगा।
7. घास काटने का कार्य प्रारंभ करने के 15 दिवस के भीतर या 30 नवम्बर 2022 के पूर्व जो भी पहले हो संपूर्ण घास कटाई का कार्य समाप्त करना होगा इस कार्य में भी सर्वप्रथम विद्यालय भवन के चारो ओर इसके बाद स्टाफ क्वार्टर के चारो ओर,फिर विद्यालय मैदान तथा इसके पश्चात् सम्पूर्ण विद्यालय परिसर में उगी हुई घास को कटवाना होगा।
8. घास काटने वाले मजदूरो के सुरक्षा,देख-रेख,घास,खरपतवार आदि काटने के लिए साधनों,उपकरण आदि से कोई क्षति पहुचती है या किसी जहरीले जीव द्वारा काटने आदि से हुई अनहोनी होती है तो इसके लिए विद्यालय प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति संस्था अथवा पार्टी की होगी।
9. निर्धारित समय सीमा में घास काटने का कार्य समाप्त करने के साथ-साथ तत्काल घास को विद्यालय से ले जाने का कार्य भी समाप्त करना होगा यदि किसी अनहोनी की वजह से या किसी भी कारण से घास चोरी हो जाती है आग लग जाती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति पार्टी अथवा संस्था की रहेगी।
10. निर्धारित समय सीमा में घास काटने का कार्य प्रारंभ नहीं करने एवं समाप्त नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति द्वारा जमा की गई राशि वापस नहीं की जाएगी तथा नीलामी निरस्त मानी जाएगी ऐसी स्थिति में विद्यालय अन्य व्यक्ति पार्टी अथवा संस्था को बची हुई घास काटने की जिम्मेदारी दे सकता है।
11. घास काटने वाले मजदूरों द्वारा विद्यालय की किसी भी संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा यदि ऐसा हुआ तो संबंधित व्यक्ति पार्टी अथवा संस्था को उसकी भरपाई केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार करनी पड़ेगी।
12. कार्य प्रारंभ करने से पहले उपर्युक्त बिन्दुओं के अनुसार रूपये 500/- के स्टाम्प पेपर पर शासन द्वारा नियुक्त मान्यता प्राप्त नोटरी के माध्यम से अनुबंध करना अनिवार्य होगा।

प्राचार्य
PRINCIPAL
प्राचार्य
केंद्रीय विद्यालय राजगढ़
राजगढ़ (ब्यावरा) म.प्र.
RAJGARH (BIAORA) M.P.

Scanned with CamScanner